न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 352/17

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती सुगनी देवी पुत्री पुरखाराम पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी बासनी भगत की कोठी जोधपुर हाल निवासी गांव पालडी मांगलिया, तहसील व जिला जोधपुर		1–पुरखाराम पुत्र पेमाराम (नाम विलोपित) 2–हरकाराम उर्फ हरीराम पुत्र पुरखाराम 3– भंवरी पुत्री पुरखाराम (नाम विलोपित) 4– पुरखाराम मण्डा पुत्र हमीराराम (नाम विलोपित) 5– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 14–7–2016 जो राजस्व अपील संख्या 34/2010 अनवान श्रीमती सुगनीदेवी बनाम पुरखाराम वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री जी0आर0गोरा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 2 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 13 –8–2018

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पालडी मांगलिया तहसील जोधपुर के खसरा नंबरान 50 रकबा 47.08 बीघा, खसरा नंबर 50/1 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नंबर 71 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा तथा खसरा नंबर 99 रकबा 2 बीघा 10 बीघा कुल 4 खसरान की 76.02 बीघा भूमि पुरखाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त खातेदारी की भूमि के संबंध मे नामांतरकरण संख्या 308 पंजीबद्ध बक्शीशनामे के आधार पर वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 2 हरिराम पि0 पुरखाराम नाबालिग के कुदरतीवली पिता पुरखाराम (वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 4) के पक्ष मे भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत नारवा द्वारा दिनांक 6–7–2010 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामांतरकरण संख्या 308 के विरूद्ध वर्तमान अपीलाथियां सुगनीदेवी पुत्री पुरखाराम जाति जाट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–7–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को खारीज कर दिये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए लिखित बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन कृषि भूमि उसके दादा पेमारामजी के समय की कृषि भूमि है । अपीलार्थियां के

पिता पुरखाराम जाणी के केवल दो पुत्री संताने हुई जिनमे अपीलार्थियां एवं अन्य पुत्री टीपू हुई । टीपू का देहवसान वर्षो पूर्व हो जाने से अपीलार्थियां ही अपने पिता के घर अपने बाल–बच्चो सहित रहकर अपने पिता की सेवा चाकरी करती रही परंतु रेस्पो. संख्या 2 (तत्समय नाबालिग) हरकाराम उर्फ हरीराम के पिता वर्तमान रेस्पो0 संख्या 4 पुरखाराम मण्डा ने अपीलार्थियां के पिता की सम्पूर्ण कृषि भूमि का बक्शीशनामा बाले बाले अन्य दस्तावेज निष्पादन करवाने के बहाने अपीलार्थियां के पिता की बीमारी की हालत मे निष्पादन करवा दिया, जिसका ज्ञान होने पर अपीलार्थियां ने ग्राम पंचायत के सरपंच, पटवारी व तहसीलदार आदि राजस्व कर्मचारी अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से सूचनाएं भेजी तथा उनके समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर हकीकत बया किया मगर रेस्पो0 हरकाराम के पिता ने साजिशपूर्ण ढंग से बक्शीशनामा करवा लिया तथा उक्त खातेदारी मे उसके पिता के स्थान पर हरकाराम के नाम का म्युटेशन संख्या 308 दर्ज करवा लिया तथा बाद मे लडाई झगडे करवाकर अपीलार्थियां को पिता के घर से निकलवा दिया तथा अपीलार्थियां के पिता की साजिशपूर्ण हत्या कर दी जबकि अपीलाधीन भूमि पर अभी तक अपीलार्थियां का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिससे उक्त म्युटेशन संख्या 308 के विरूद्ध अपीलार्थियां ने प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश थी।

अपीलार्थियां की ओर से लिखित बहस मे यह भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पन्न की गई कार्यवाही के बारे मे उल्लेख करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली नियमित तारीख पेशी मे चल रही थी जिसमे तारीख पेशी दिनांक 19–5–16 से पहले दिनांक 18–7–16 को मुकर्रर की तथा बाद मे रेस्पो0 एवं रीडर के कहे अनुसार पुनः दिनांक 19–5–16 की आदेशिका लिखकर पत्रावली दिनांक 18–7–16 के स्थान पर दिनांक 14–7–16 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 केम्प कार्यालय हाजा मे रखने की सूचना अपीलार्थियां के अधिवक्ता को दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया तथा अपीलाधीन निर्णय मे अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा निर्णय मे अपीलांट अधिवक्ता का नाम बिना उपस्थित हुए ही दर्ज किया जाकर तथा बहस सुनी जाने का उल्लेख करते हुए अपीलांट की अपील निराधार रूप से बिना कानूनी प्रकिया अपनाये, मनमाने ढंग से एकतरफा मानकर बनाकर पक्षपातपूर्ण तरीके से खारीज करने बाबत पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

अपीलार्थियां की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस मे यह उल्लेख किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रथम अपील मे यह स्पष्ट किया गया था कि अपीलाधीन भूमि अपीलार्थियां के दादा के समय से चली आ रही थी जिसमे अपीलार्थियां का हिस्सा निहित था जिसकी बख्शीश किये जाने का अधिकार ही नही था तथा बख्शीशनामा धोखे से बाले–बाले करवाया जाकर बाद मे बख्शीशकर्ता की हत्या कर दी गई थी तथा यह भी उल्लेख किया कि बख्शीशकर्ता एवं रेस्पो0 हरीराम के पिता पुरखाराम जाणी के आपस मे पूर्व समय से भी फौजदारी मुकदमें दर्ज हुए थे, जिसके चालान तक प्रस्तुत हुए । अपीलार्थियां की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया गया है कि

बख्शीशनामे का नामांतरकरण पारित किये जाने बाबत सरपंच ग्राम पंचायत को सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी होने से उसके द्वारा मना कर दिया था जिससे तहसीलदार ने मिलावट करके रेस्पो0 को गैर वाजिब लाभ पंहुचाने की बदनियति से उक्त अपीलाधीन म्युटेशन बाले बाले तथ्यो एवं विधि विरूद्ध स्वीकार किया गया, जिससे उक्त अपीलाधीन म्युटेशन एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

अपीलार्थियां की लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया कि इस प्रकरण मे नामांतरकरण की प्रकिया केवल फिस्कल प्रोसिडिंग नही है तथा वादपत्र लंबित रहते हुए नामांतरकरण अपील प्रकिया मे गुणावगुण पर निर्णय पारित नही किये जाने पर भी विधि एवं तथ्यो के अनुरूप उचित प्रतीत नही होता है क्योकि नामांतरकरण प्रकिया नही रोका जाने से रेस्पो0 द्वारा जानबूझकर अपीलाधीन भूमि पर बैंक से ऋण ले लिया गया तथा कई बार अपीलांट एवं उसके परिवारजन के साथ रेस्पो0 ने मारपीट की है तथा पुलिस के समक्ष मुकदमे दर्ज करवाने पर सीधा सा प्रश्न आता है कि खातेदारी किसके नाम है । अपीलार्थियां ने लिखित बहस मे यह भी कथन किया कि रेस्पो0 अपीलांट की भूमि को बेचान, कारकूट करने पर उतारू है तथा वाद निर्णय एवं अपीलो, निगरानियो के निर्णय मे वर्षो समय लगेगा, जिससे नामांतरकरण अपील मे वादपत्र लंबित रहने के दौरान भी नामांतरकरण अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना विधि अनुरूप सही है ।

अपीलार्थियां ने अपनी लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया कि नामांतरकरण की अपीलो मे नामांतरकरण केवल फिस्कल प्रोसिडिंग होना एवं वाद लंबित रहने के कानूनी बिन्दु केवल तभी लागू होते है जब पूर्व स्थिति बहाल हो जाती है तत्पश्चात ये बिन्दु रेज किये जाते है कि राजस्व रेकर्ड पूर्व स्थिति मे आ चुका है । अपीलार्थियां ने उक्त अपील को गुणावगुण पर सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अपीलाधीन म्युटेशन को खारीज करने का निवेदन किया ।

अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया कि गलत आधारो पर दस्तावेज पंजीयन करवाये जाने से कोई नामांतरकरण स्वीकार किया जाना आवश्यक नही है। विधि का यह सिद्धान्त पूर्व से ही प्रचलित है कि न्यायालय द्वारा न्याय करना चाहिये एवं न्यायालय द्वारा किया गया न्याय दिखना भी चाहिये जिससे उपरोक्त सिद्धान्त को देखते हुए अपीलांट के साथ बहुत भारी अन्याय हो रहा है जिसके मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त किये जाने योग्य है ।

अपीलार्थियां की ओर से लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया गया है कि मौजा पालडी मांगलिया के खसरा नंबर 50 आदि की खतौनी संवत 1999 की पेश की गई है, जिससे यह भूमि पैतृक होना साबित है तथा सिविल कोर्ट अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेटसंख्या 1 द्वारा दिनांक 15–12–2016 को पारित स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति इस लिखित बहस के समर्थन मे सलंग्न पेश की है, जिसमे अपीलाधीन भूमि बख्शीशकर्ता की पैतृक मानी जाकर बेचान हस्तांतरण इत्यादि की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये जो अभी अस्तित्व मे होना बताया ।

अपीलार्थियां ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर अंत मे अपीलार्थियां की उक्त द्वितीय अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रथम अपील मे पारित निर्णय दिनांक 14–7–2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 308 ग्राम पालडी मांगलिया के आदेश निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलार्थियां की लिखित बहस के जवाब मे अपनी मौखिक बहस मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि ग्राम पालडी मांगलिया स्थित कृषि भूमि खसरा नंबरान 50, 50/1, 71 एवं 99 की कुल 76.02 बीघा भूमि के पूर्व खातेदार पुरखाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट था । उक्त भूमि के संबंध मे खातेदार पुरखाराम ने एक बक्शीशनामा दिनांक 25–6–2010 को अपने दोहिते वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 2 हरीराम पुत्र पुरखाराम उम्र 17 वर्ष जाति जाट निवासी पालडी मांगलिया जरिये कुदरती वली पिता पुरखाराम के पक्ष मे निष्पादित किया तथा उक्त बक्शीशनामा उप पंजीयक द्वितीय जोधपुर के कार्यालय मे दिनांक 25–6–2010 को पंजीबद्ध कराया । उक्त पंजीबद्ध बक्शीशनामे के आधार पर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 308 ग्राम पालडी मांगलिया वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 हरिराम पुत्र पुरखाराम नाबालिग के कुदरतीवली पिता पुरखाराम पि0 हमीरा राम जाट के पक्ष मे भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत नारवा द्वारा दिनांक 6–7–2010 को स्वीकृत किया गया । वर्तमान अपीलार्थियां ने उक्त म्युटेशन संख्या 308 के विरूद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश की । उक्त प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–7–2016 के द्वारा खारीज कर दी जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन पंजीबद्ध बक्शीशनामे के आधार पर स्वीकृत किया हुआ है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही हुई है तथा यह भी कथन किया कि अपीलार्थियां ने उक्त पंजीबद्ध बक्शीशनामे को निरस्त करवाने बाबत एक दीवानी वाद अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 1 जोधपुर मे विचाराधीन है तथा इसी भूमि के संबंध मे एक दावा भी उपखण्ड अधिकारी जोधपुर मे विचाराधीन है इसलिए हक अधिकारो का निर्धारण उक्त विचाराधीन वाद एवं दावो से ही होना है । म्युटेशन अपील की फिस्कल कार्यवाही के जरिये अधिकारो का निर्धारण संभव नही है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस मे भी ऐसा कोई आधारभूत तथ्य प्रकट नही किया है जिससे रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के आधार पर भरे गये अपीलाधीन म्युटेशन को खारीज किया जाने का कोई आधार हो ।

अंत मे रेस्पो0 संख्या 2 अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णण को विधिसम्मत बताते हुए अपीलार्थियां की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

राजकीय अधिवक्ता ने भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय को विधि एवं न्यायसंगत बताते हुए अपीलार्थियां की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने अपीलांट अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस तथा रेस्पो0 अधिवक्ता की मौखिक बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 308 ग्राम पालडी मांगलिया का भी अध्ययन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 308 जो कि पंजीबद्ध बख्शीशनामे के आधार पर भरा जाकर स्वीकृत किया गया है जिसमे प्रथमदृष्टियां किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नही पाया जाता है ।

अपीलार्थियां की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस एवं उसके साथ फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलार्थियां ने रेस्पो0 संख्या 2 हरीराम के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध बक्शीशनामे के दस्तावेज को निरस्त करवाने बाबत एक दीवानी वाद अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 1 जोधपुर मे प्रस्तुत कर रखा है तथा उक्त दावे के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–2016 के द्वारा स्वीकार करते हुए अप्रार्थी मूल वाद के निस्तारण तक पुरखाराम जाणी द्वारा बख्शीशनामे के जरिये उसे दी गई वादग्रस्त सम्पति का बेचान व हस्तांतरण किसी अन्य को नही करने बाबत आदेश पारित किया हुआ है ।

इसके अलावा बहस के दौरान रेस्पो0 संख्या 2 अधिवक्ता द्वारा किये गये कथन एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किये गये उल्लेख अनुसार अपीलाधीन भूमि मे पक्षकारो के अधिकारो के संबंध मे पक्षकारो के मध्य एक नियमित वाद भी उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के न्यायालय मे विचाराधीन होना बताया है । ऐसे मे अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पक्षकारान के हक अधिकारो का अंतिम निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय मे विचाराधीन मूल वाद के निर्णय तथा अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन नियमित वाद के निर्णय से ही होना है तथा यही अभिमत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय मे देते हुए अपीलार्थियां की प्रथम अपील को खारीज किया है, जिसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–7–2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 308 ग्राम पालडी मांगलिया यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 13 –8–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर